संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक

अभियान

रशीदा मांजू का महिला हिंसा पर वक्तव्य

संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक, रशीदा मांजू ने अपने वक्तव्य में भारत से दंडमुक्ति, असमानता और भेदभाव की संस्कृति खत्म करने की मांग रखी ताकि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को जड़ से मिटाया जा सके। महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, के कारण व प्रभावों के बारे में बात करते हुए रशीदा मांजू ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा असमानता और भेदभाव का वास्तविक कारण और नतीजा दोनों है।

मानवाधिकार परिषद के जनादेश के तहत उन्होंने भारत सरकार से गुज़ारिश की कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को "समाजों में व्याप्त दमन और भेदभाव की अन्य प्रणालियों" से जोड़कर देखा जाए। केवल क़ानून और नीतियां बना देने से ही आवश्यक बदलाव नहीं लाए जा सकते, जब तक कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को भेदभाव, हिंसा और दंडमुक्ति की व्यापक संस्कृति को सम्बोधित करने वाले उपायों के साथ जोड़कर न देखा जाये।" अपनी भारत यात्रा के दौरान मांजू ने नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मणिपुर में सभाएं कीं और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों से भी जानकारियां इकट्ठा कीं। वे नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राज्य तथा केंद्रीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों, मानवाधिकार संस्थानों व एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सदस्यों से मिलीं और मानवाधिकार हनन के अनुभवों पर जानकारी इकट्ठी की। मांजू ने प्राप्त जानकारियों के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसाओं में यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, जातीय भेदभाव और हिंसा, दहेज हत्या, सम्मान जनित अपराध, डायन–हत्या, सती, यौन उत्पीड़न, समलैंगिकों, द्विलिंगियों तथा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ हिंसा, जबरन और बाल विवाह, पानी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव, विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, प्रजनन व यौन अधिकारों के उल्लंघन, लिंग परीक्षण, हिरासत व संघर्ष क्षेत्र में हिंसा का उल्लेख किया। इस वक्तव्य में विकलांग महिलाओं द्वारा अनुभव हिंसा के रूपों को स्वीकारा गया जिसमें यौनिक हिंसा, जबरन नसबंदी, गर्भपात तथा बिना सहमति के चिकित्सा/इलाज शामिल हैं। इसके अलावा, भेदभाव, बहिष्करण और हाशियाबद्ध किए जाने से जुड़े उनके अनुभव इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं।

"मांजू ने आगे यह भी बताया कि हिंसा महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ "कोख से कब्र तक का विषम चक्र" है जो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति व पुरुष प्रधानता व स्त्री आधीनता के पितृसत्तात्मक व सांस्कृतिक मानदण्डों से जुड़ी है। परिवार की एकता को कायम रखने की राज्य पक्षों की कोशिशें कल्याण/सामाजिक सोच पर आधारित होती हैं, मानव अधिकारों के नज़रिये पर नहीं। लिहाज़ा इनमें सत्ता और सत्ताहीनता पर आधारित संबंधों के स्वभाव, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता, आक्रामक व्यवहार, संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता।" नये बलात्कार संशोधन क़ानून में वर्मा समिति की सिफ़ारिशों को पूरी तरह शामिल न करने को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि "एक ऐसे मौके को खो दिया गया है जो महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली असमानता और भेदभाव को दूर कर सकता था।" ऐसा करने से महिलाओं की यौनिक व शारीरिक अखंडता के अधिकार से जुड़े बदलाव के मानक और स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक समग्र और प्रतिकारी ढांचे के विकास का रास्ता बंद कर दिया है। मौजूदा पद्धति महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के बुनियादी और संरचनात्मक कारणों और परिणामों को सम्बोधित करने में नाकामयाब रही हैं।"

हालांकि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा एक सकारात्मक कदम है परन्तु इस क़ानून के प्रावधानों व कार्यान्वयम के बीच अंतर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। "पीड़ितों को क़ानूनी, सामाजिक और वित्तीय सहायता मुहैय्या कराने वाले प्रावधानों के बावजूद, कई महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने में असफल रहती हैं। यही नहीं, हिंसा की रोकथाम, जो राज्य का मूल दायित्व है, इस क़ानून के क्रियान्वयन में दिखलाई नहीं पड़ता।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हाल ही में हुए संशोधनों के बावजूद, "दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यही है कि भारत में दण्डमुक्ति के मानक के चलते अभी भी बहुत सी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाएं केवल युद्ध, युद्ध के बाद और विस्थापन जैसे हालातों में ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण हालातों में भी हिंसा का सामना करती हैं।" रशीदा मांजू ने आगे कहा कि उनके पास आने वाली गवाहियों में आमतौर पर संवैधानिक अधिकारों की सामान्य तौर पर गैर मौजूदगी, तथा समानता, गरिमा, शारीरिक अखण्डता, जीवन व न्याय तक पहुंच के अधिकारों का हनन एक प्रमुख विषय है।

इस बयान में यह भी कहा गया कि संघर्ष आधारित यौन हिंसा के संदर्भ में, राज्य और गैर–राज्ययी पक्षों द्वारा हनन को स्वीकारा जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने *सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम* तथा *सशस्त्र बल (जम्मू–कश्मीर) विशेषाधिकार*

अधिनियम का हवाला देते हुए बताया कि ये अधिनियम, मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दंडमुक्ति के रूप में सामने आए हैं। "प्राप्त बयानों से यह स्पष्ट था कि इस अधिनियम की व्याख्या और क्रियान्वयन, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को जड़ से खत्म करता है– जिसमें जम्मू–कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की घूमने–फिरने की आज़ादी, संघ और शांतिपूर्ण सभा, सुरक्षा व संरक्षण, सम्मान तथा शारीरिक अखंडता के अधिकार शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध प्रदर्शनों को अक्सर सैन्य कार्रवाइयों द्वारा दबा दिया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्तव्य में दलित, आदिवासी, अन्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा स्वदेशी अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं के उत्पीड़न को भी स्वीकारा गया है। "उनकी वास्तविकता यह है कि वे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के आख़िरी पायदान पर खड़ी हैं और बदतर किस्म के भेदभाव और दमन का सामना करती हैं, जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी उनकी सामाजिक–आर्थिक अरक्षिता को पुनस्थार्पित करता है।" मांजू ने मणिपुर में अचानक लापता होने वाली युवा महिलाओं की आक्रोशपूर्ण कहानियां सुनीं। उन्हें बताया गया कि पुलिस का रवैया इस बारे में लापरवाह रहा है और वे महिलाओं के लापता होने को प्रेमी के साथ भाग जाने का नाम देते हैं। मांजू ने इन गुमशुदगियों का यौन उत्पीड़न, शोषण और अवैध मानव तस्करी से जुड़ाव होने की संभावना पर चिंता व्यक्त की।

"आमतौर पर क्षेत्र में आदिवासी और देशज महिलाएं दिन–ब–दिन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, शारीरिक और यौनिक हिंसा सहती हैं। उन्हें अनेक पाबंदियों के चलते अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक संसाधन भी मुहैय्या नहीं होते।" बयानों में बाल विवाह, तथा दहेज–संबंधी रीतियों, तंत्र–मंत्र, सम्मान–हत्या, डायन–हत्या तथा सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को भी उजागर किया गया। सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर वक्तव्य में उन महिलाओं को याद किया गया, "जिनके साथ 2002 के गुजरात नरसंहार में उनकी धार्मिक पहचान के कारण मारपीट व बलात्कार, निर्वस्त्र करके जलाना और मार डालना जैसी हिंसाए हुई हैं।" मांजू ने भारत में गिरते हुए लिंग अनुपात पर भी चिंता व्यक्त की। सरकारी हस्तक्षेपों को लागू करने से निगरानी पद्धति के माध्यम से गर्भधारण की चौकसी की जा रही है जिसके कारण महिलाओं को गर्भपात के वैद्य अधिकार से वंचित किया जा रहा है और जो उनके यौनिक व प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन है।

विशिष्ट प्रतिवेदक ने अपने वक्तव्य में सार्वजनिक स्थलों, परिवारों अथवा काम की जगहों पर कार्यस्थल हिंसा, यौन हिंसा और उत्पीड़न के व्यापक प्रसार को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों/सुविधाओं/परिवहन सेवाओं में आमतौर पर असुरक्षा की भावना पाई जाती है और इनमें महिलाएं व बच्चे अक्सर यौन उत्पीड़न तथा हमले का शिकार होते हैं।" वक्तव्य में महिला घरेलू कामगरों के यौन उत्पीड़न व अन्य अन्यायों के बारे में हताशा व्यक्त की गई। "उनमें से कई महिलाएं, प्रवासी और अपंजीकृत होती हैं, जो नौकर या बंधुआ मज़दूर के रूप में, अक्सर कम वेतन, कम मूल्य और लापरवाह नियंत्रण वाले तकलीफदेय माहौल में काम करती हैं।"

इस वक्तव्य में कई सुझाव दिए गए जिनमें मानवाधिकार संगठनों द्वारा दिया गये सुझाव भी शामिल थे।

- समग्र जेंडर समानता हासिल करने में व्यक्तिगत क़ानूनों के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए सुझाव दिया गया कि ऐसे क़ानूनों में सुधार लाया जाना चाहिए ताकि क़ानूनी समानता को सुनिश्चित किया जा सके (सीडॉ)।
- सरकार से मांग की गयी है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ितों को घरेलू हिंसा क़ानून का लाभ प्राप्त होना चाहिए। *घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम* तथा *भारतीय दंड संहिता* की धारा 498 ए, को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। (सी.ई.एस. सी.आर.)।
- *सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम* तथा *सशस्त्र बल (जम्मू–कश्मीर) विशेषाधिकार अधिनियम* को खारिज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दंडमुक्ति प्रतिपादित करता है और इसका इस्तेमाल मानवाधिकार रक्षकों के ख़िलाफ़ किया जाता है।
- दलित महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर दंडमुक्ति की संस्कृति, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के ख़िलाफ़ होने वाले अत्याचारों की शिकायतें पर पड़ताल की कमी, के कारण निम्न दंड–दर तथा ऐसे मामलों पर कार्रवाई न हो पाने जैसे परिणाम सामने आते हैं। महिला अधिकारों पर विशाल परियोजनाओं के प्रभाव पर गहन अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसमें आदिवासियों तथा ग्रामीण समुदायों पर उनके प्रभाव और सुरक्षा उपाय भी शामिल हों।
- सरकार को हिदायत दी गई कि *सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) बिल,* 2005 शीघ्र पारित करे। इस क़ानून में "यौनिक, लैगिंक व सांप्रदायिक दंगों के दौरान औरतों पर व्यापक अपराधों को शामिल किया जाए; और जिनमें इस तरह के अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक व्यापक प्रतिकार तंत्र तथा लिंग संवेदनशील, पीड़ित–केंद्रित प्रक्रिया और स्पष्ट नियमों का प्रावधान हो जिससे सांप्रदायिक दंगों में राज्य अधिकारियों की निष्क्रियता और मिलीभगत को इस क़ानून के तहत सम्बोधित किया जा सके।"

रशीदा मांजू की भारत यात्रा के समग्र निष्कर्ष उनकी रिपोर्ट में शामिल किये जाएंगे जो जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष पेश की जायेगी।